झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–15/2023/30/बजट /राँची, दिनांक– 25/02/2026

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषय :– **राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) में नये भवन के निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

लेखा/बजट/ e-gazette 24/2/2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) में छात्र–छात्राओं को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने तथा संस्थान को State of the Art बनाने के निमित नये भवन का निर्माण कार्य से संबंधित योजना पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.09.2024 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति दी गयी है एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 24/योजना दिनांक 07.10.2024 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 39,05,40,600/– (रू0 उनचालीस करोड़ पांच लाख चालीस हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गई है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 275(नि0) दिनांक 03.02.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

   अतः उक्त के आलोक में State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) में नये भवन के निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि की निकासी हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 29/योजना दिनांक 17.02.2026 के आलोक में कुल राशि कुल राशि रू0 10,00,00,000/–(रू0 दस करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विषयांकित कार्य के लिए राशि का उपबंध एवं निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार {Sub Scheme Head-02–राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण–जीर्णोद्धार (नाबार्ड/आर0आई0डी0एफ0)} विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण के निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी। विपत्र कोड़ – 43S420202105060205 45

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन,

24.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव